उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या:20/2021/सा-3-641/दस-2021-301/2000टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

# कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-19/2021/सा-3-633/दस-2021-301/2000टी0सी0, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को अनुमन्य ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के आगणन हेतु केन्द्र सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1(5)/ईवी/2020, दिनांक 7 सितम्बर, 2021 के अनुसार प्रकल्पित दरों पर मंहगाई भत्ता आगणित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-3 में त्रुटिवश "अवकाश नकदीकरण" के स्थान पर "राशिकरण" तथा "मंहगाई भत्ता" के स्थान पर "मंहगाई राहत" टंकित हो गया है।

3- अतः उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 09 नवम्बर, 2021 के प्रस्तर-3 में ""राशिकरण" के स्थान पर "अवकाश नकदीकरण" तथा "मंहगाई राहत" के स्थान पर "मंहगाई भत्ता" पढ़ा जाये। कार्यालय-ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। कार्यालय-ज्ञाप की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या: तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2)-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)-निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4)-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5)-निदेशक, वित्तीय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
(6)-निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7)-विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० शासन।
(8)-विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ०प्र० शासन।
(9)-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(10)-मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(11)-समस्त मण्डालायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(12)-समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(13)-समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।